

## प्रारंभिक परीक्षा

### अशोक के पोते ने जैन धर्म का किस प्रकार प्रचार किया

#### संदर्भ

कोबा, गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन, अशोक के पौत्र संप्रति के माध्यम से जैन धर्म में मौर्यों के उन योगदानों को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रयास है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया गया है।

#### मौर्य-जैन वंश

मौर्य साम्राज्य को विश्व स्तर पर अशोक के बौद्ध धर्म प्रचार अभियानों के लिए जाना जाता है, लेकिन जैन धर्म भी इस राजवंश का एक सशक्त हिस्सा बना रहा:

- दिगंबर परंपरा के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य (अशोक के दादा) श्रवण बेलगोला (कर्नाटक) चले गए और जैन धर्म की संधारा पद्धति का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।
- अशोक की पहली पत्नी और कुणाल की माता, रानी पद्मावती, एक धर्मनिष्ठ जैन थीं।
- कुणाल के पुत्र संप्रति (शासनकाल लगभग 230-220 ईसा पूर्व) अपने दादा की मृत्यु के बाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण राजसंरक्षक बने।

#### संप्रति और जैन धर्म का प्रसार

- धर्म परिवर्तन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन: संप्रति की व्यक्तिगत भक्ति उनके प्राथमिक गुरु, आर्य सुहस्ती के सानिध्य में सुदृढ़ हुई। सुहस्ती, महावीर द्वारा स्थापित जैन संघ के आठवें प्रमुख थे और उन्होंने संप्रति के धार्मिक संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- संरक्षण के साहित्यिक विवरण: उनके जीवन और प्रशासनिक प्रयासों को "संप्रति नृप चरित्र" में प्रलेखित किया गया है, जो 461 श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संस्कृत कार्य है। इसमें उनके धार्मिक कार्यों, मंदिर निर्माणों और जैन धर्म के भीतर "नैतिक राजपद के लिए एक आदर्श" के रूप में उनकी स्थिति का विवरण दिया गया है।
- बुनियादी ढांचा और प्रतिमा विज्ञान: संप्रति को उपमहाद्वीप में हजारों जैन मंदिरों (बसदि) के निर्माण और जीर्णोद्धार का श्रेय दिया जाता है।
  - उन्होंने जिन प्रतिमाओं को स्थापित करने का एक व्यापक आंदोलन शुरू किया, जिनमें से कई आज भी पश्चिमी भारत की मौखिक और मंदिर परंपराओं में उनके नाम से जुड़ी हुई हैं।
- "अनार्य" देशों तक मिशनरी पहुँच: श्रीलंका और ग्रीस में अशोक के बौद्ध मिशन की तरह, संप्रति ने दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में जैन भिक्षुओं के आवागमन को सुगम बनाया।
  - उनके प्रयासों ने जैन धर्म की पहुँच को दक्षिण भारत और अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत किया।
- प्रशासनिक सहायता: उन्होंने जैन भिक्षुओं की यात्रा के लिए सुरक्षा और सहायता प्रदान करने हेतु मौर्य राज्य तंत्र का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि तपस्वी परंपरा मगध के हृदय स्थल से आगे बढ़कर उज्जैन जैसे क्षेत्रीय केंद्रों में अपनी जड़ें जमा सके।
- अनुष्ठानिक संस्थागतकरण: केवल संरचनाओं के निर्माण से परे, संप्रति ने स्तूपों की अशोककालीन संस्कृति के अनुरूप मंदिरों और तीर्थस्थलों का एक व्यापक नेटवर्क बनाकर जैन अनुष्ठानिक संस्कृति को संस्थागत बनाने में मदद की, जो मौर्यों के पतन के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहा।

### राजा रवि वर्मा

#### संदर्भ

राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण पेंटिंग ₹167.2 करोड़ में बिकी, जिसने भारतीय कला के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

### राजा रवि वर्मा के बारे में

- राजा रवि वर्मा (1848–1906), जिनका जन्म तत्कालीन तिरुवितातंकुर (त्रावणकोर) राज्य (केरल) के किलिमानूर राजघराने में हुआ था, को भारतीय सौंदर्यशास्त्र में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है।
- उपाधि: उन्हें किलिमानूर के "कोइल थंपुरन" और "आधुनिक भारतीय कला के जनक" के रूप में जाना जाता है।
- तकनीक: कैनवास पर तैल चित्र (Oil on Canvas); यूरोपीय अकादमिक यथार्थवाद।
- शैली: वर्मा से पहले, भारतीय देवी-देवताओं को अक्सर शैलीबद्ध, द्वि-आयामी रूपों (जैसे तंजौर या कालीघाट शैलियों) में चित्रित किया जाता था।
  - वर्मा ने उन्हें मानवीय अनुपात, अभिव्यंजक चेहरे और यथार्थवादी बनावट प्रदान की, जिससे दिव्य स्वरूप आम आदमी के लिए अधिक सुलभ और आत्मसात करने योग्य बन गया।
- पौराणिक विषय: शकुंतला (दुष्यंत के लिए पीछे मुड़कर देखना), दमयंती और हंस का संवाद, तथा जटायु वधा।
- प्रमुख नवाचार: भारत में पहले लिथोग्राफिक प्रेस (1894) की स्थापना की।
- पुरस्कार: 1904 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

### दोषियों को परिहार (REMISSION) देने पर कैबिनेट की सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी: मद्रास

#### उच्च न्यायालय

#### संदर्भ

मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने ईश्वरन बनाम राज्य के निर्णय में यह माना है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं, जो दोषियों के परिहार और समयपूर्व रिहाई पर संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग करती है।

#### राज्यपाल की परिहार की शक्ति

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी ऐसे मामले से संबंधित कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा (pardon) करने, दण्ड को निलंबित करने, परिहार (remit) करने या लघुकरण (commute) करने की शक्ति प्रदान करता है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है।

शक्ति	दण्ड पर प्रभाव
क्षमा (Pardon)	दण्ड और दोषसिद्धि दोनों को पूरी तरह से हटा देती है।
परिहार (Remission)	दण्ड की प्रकृति को वही रखते हुए उसकी अवधि को कम कर देती है।
लघुकरण (Commutation)	दण्ड को हल्के रूप में बदल देती है।
विराम (Respite)	दोषी की विशेष परिस्थितियों के कारण कम दण्ड प्रदान करती है।
प्रविलंबन (Reprieve)	दण्ड के निष्पादन पर अस्थायी रोक प्रदान करती है।

**अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के विवेकाधिकार पर विरोधाभासी विचार**

ए. जी. पेरारिवलन बनाम राज्य (पुलिस अधीक्षक के माध्यम से)	संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में राज्यपाल राज्य कैबिनेट की सलाह से बाध्य हैं।
म. प्र. विशेष पुलिस स्थापना बनाम म. प्र. राज्य	अनुच्छेद 161 राज्यपाल को अपने स्वयं के विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है जब तथ्यों के आधार पर पक्षपात स्पष्ट हो जाता है या राज्य कैबिनेट का निर्णय तर्कहीन पाया जाता है।

**महत्वपूर्ण मामले**

मारू राम बनाम भारत संघ (1981)	स्थापित किया गया कि राज्यपाल कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने में असमर्थ हैं। (संवैधानिक पीठ का निर्णय)
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)	सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय ने माना कि राज्यपाल राज्य सरकार के लिए एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति (shorthand expression) हैं।
ए.जी. पेरारिवलन बनाम राज्य (2004)	अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों के लिए राज्य कैबिनेट की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है। इसने यह भी शासित किया कि इस शक्ति का प्रयोग करने में राज्यपाल द्वारा की गई अकथनीय देरी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है।
एपूरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2006)	स्थापित किया गया कि यदि मंत्रिपरिषद तर्कहीन रूप से कार्य करती है या प्रासंगिक कारकों की अनदेखी करती है, तो न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन करना चाहिए; राज्यपाल के लिए अपने स्वयं के विवेक से कार्य करना खुला नहीं है।

**ईश्वरन बनाम राज्य निर्णय के मुख्य निष्कर्ष**

- सलाह की बाध्यकारी प्रकृति: परिहार और समयपूर्व रिहाई के संबंध में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कड़ाई से बाध्य हैं।
- राज्यपाल का कोई विवेकाधिकार नहीं: राज्यपाल अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से सलाह से सहमत हों या नहीं।
- मंत्रिपरिषद की तर्कहीन सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन: यदि मंत्रिपरिषद तर्कहीन रूप से कार्य करती है या प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, तो इसका उपचार न्यायालयों द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन में निहित है, न कि राज्यपाल के स्वतंत्र विवेकाधिकार में।

**इसरो (ISRO) ने आदित्य L1 मिशन पर अवसर की घोषणा (ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY - AO) आमंत्रित की**

**संदर्भ**

इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर अवलोकन समय के लिए भारतीय सौर भौतिकी समुदाय से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दूसरी अवसर की घोषणा (AO) जारी की है।

**आदित्य L1 मिशन के बारे में**

- आदित्य L1 मिशन भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष-आधारित सौर मिशन है। यह मिशन सूर्य-पृथ्वी L1 बिंदु से सूर्य का निरंतर अवलोकन कर रहा है।

- 2 सितंबर, 2023 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित यह मिशन अपने गंतव्य—लैंग्रेंज बिंदु 1 (L1) के चारों ओर एक हेलो कक्षा (Halo orbit) तक पहुँच गया।
- **L1 का महत्व:** L1 बिंदु अंतरिक्ष में एक "गुरुत्वाकर्षण अनुकूल स्थान" (gravitational sweet spot) है जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, अंतरिक्ष यान की गति के अभिकेंद्री बल (centripetal force) के साथ मिलकर, उसे अपेक्षाकृत स्थिर रहने की अनुमति देता है।
- **आदित्य-L1 मिशन के उद्देश्य:** व्यापक रूप से, सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन
  - कोरोनल हीटिंग (Coronal heating) का अध्ययन
  - सौर पवन त्वरण (Solar wind acceleration) का अध्ययन
  - कोरोनल मास इजेक्शन (CME) का अध्ययन
  - सौर वातावरण की गतिशीलता और तापमान विषमता (Temperature anisotropy)।
- **आदित्य L1 मिशन के पेलोड**
  - **विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ (VELC):** VELC मुख्य पेलोड है जिसे मल्टी-स्लिट स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ एक परावर्तक कोरोनोग्राफ के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
  - **सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS):** SoLEXS एक सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे सौर ज्वालाओं (solar flares) के अध्ययन के लिए सौर सॉफ्ट एक्स-रे प्रवाह को मापने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - **प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य (PAPA):** PAPA को सौर हवाओं और इसके घटकों को समझने और सौर पवन आयनों का द्रव्यमान विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - **हार्ड एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS):** HEL1OS उच्च ऊर्जा एक्स-रे में सौर ज्वालाओं का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक हार्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है।
  - **सोलर अल्ट्रा-वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT):** SUIT निकट पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य सीमा में सौर डिस्क की छवि लेने के लिए एक यूवी टेलीस्कोप है।
  - **आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (ASPEX):** ASPEX पेलोड में 2 उप-प्रणालियाँ शामिल हैं: SWIS और STEPS।
    - **सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर (SWIS)** एक कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे सौर पवन के प्रोटॉन और अल्फा कणों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - **सुप्रा-थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर (STEPS)** सौर पवन के उच्च-ऊर्जा आयनों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च ऊर्जा स्पेक्ट्रोमीटर है।
- **मैग्नेटोमीटर (Magnetometer):** MAG अंतरिक्ष में कम तीव्रता वाले अंतर-ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। इसमें चुंबकीय सेंसर के दो चरण हैं।

**अन्य सौर मिशन**

मिशन	एजेंसी	प्रक्षेपण तिथि	स्थान / कक्षा	प्राथमिक वैज्ञानिक केंद्र
पार्कर सोलर प्रोब	नासा (USA)	2018	दीर्घवृत्ताकार (सूर्य के निकटतम)	सौर कोरोना और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रत्यक्ष नमूना लेना।
सोलर ऑर्बिटर (Solo)	ESA और नासा	2020	झुकी हुई दीर्घवृत्ताकार	उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और पहली बार सौर ध्रुवों का अवलोकन।

हिनोड (Solar-B)	JAXA (जापान)	2006	सूर्य-तुल्यकालिक (पृथ्वी)	चुंबकीय संरचनाओं का उच्च-रिज़ॉल्यूशन "सूक्ष्म" विवरण।
Proba-3	ESA	2024	उच्च पृथ्वी कक्षा (फॉर्मेशन)	दो उड़ने वाले यानों द्वारा निर्मित 150 मीटर के कृत्रिम ग्रहण के माध्यम से आंतरिक कोरोना का अध्ययन।
SWFO-L1	NOAA (USA)	2025	लैग्रेंज बिंदु 1 (L1)	परिचालन अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी (Solar-1)।
SMILE	ESA और CAS (चीन)	2026 (प्रक्षेपित किया जाएगा)	उच्च पृथ्वी कक्षा	सौर पवन पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को कैसे प्रभावित (dent) करती है।
SOLAR-C (EUVST)	JAXA के नेतृत्व में, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग	2028	सूर्य-तुल्यकालिक पृथ्वी कक्षा (लगभग 600 किमी ऊंचाई)	अभूतपूर्व रिज़ॉल्यूशन के साथ संपूर्ण सौर वातावरण का एक साथ अवलोकन करना। यह "ठंडे" क्रोमोस्फीयर (5,000 K) से लेकर अत्यधिक गर्म फ्लेयरिंग कोरोना (20 मिलियन K) तक सब कुछ एक साथ कैप्चर करता है।

### भारत ने शांति सैनिकों की हत्या की निंदा की

#### संदर्भ

- भारत ने हिजबुल्लाह-आईडीएफ (IDF) झड़पों के बीच दक्षिणी लेबनान में तीन इंडोनेशियाई युनिफिल (UNIFIL - संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल, लेबनान) शांति सैनिकों की हत्या की निंदा की।

#### युनिफिल (UNIFIL - लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल) के बारे में

- **स्थापना:** इजरायल के 'ऑपरेशन लिटानी' आक्रमण (तटीय सड़क नरसंहार के जवाब में, जहाँ फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने कई इजरायलियों की हत्या कर दी थी) के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों 425 और 426 (1978) द्वारा निर्मित।
- **दायित्व:** इजरायली वापसी सुनिश्चित करना, शांति बहाल करना और दक्षिणी लेबनान में लेबनानी सरकार के अधिकार को सुदृढ़ करने में सहायता करना।
- **विस्तारित भूमिका:** इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध (2006) के बाद, यूएनएससी प्रस्ताव 1701 ने युद्धविराम की निगरानी करने और लेबनानी सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए इसके जनादेश का विस्तार किया।
- **तैनाती:** मिशन में 40 से अधिक देशों के लगभग 10,000 शांति सैनिक शामिल हैं (मुख्यालय: नाकुरा, दक्षिण लेबनान)।
  - भारत एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता है (पैदल सेना और चिकित्सा इकाइयों सहित लगभग 600 कर्मी)।
- **कानूनी संरक्षण:** शांति सैनिकों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और यूएनएससी प्रस्ताव 1701 का उल्लंघन हैं (यह युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है)।
- **वर्तमान चुनौतियाँ:** बढ़ती इजरायल-हिजबुल्लाह झड़पें, शांति सैनिकों पर हमले और पश्चिम एशिया संघर्ष का बढ़ता विस्तार मिशन की स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।

**संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन (PKOs) के बारे में**

**विधिक आधार:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं; शांति बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र की प्रथा के रूप में विकसित (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिदेश द्वारा अधिकृत; व्यापक रूप से अध्याय VI – विवाद निपटान एवं अध्याय VII – खतरों के विरुद्ध कार्रवाई पर आधारित)।

**संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के मूल सिद्धांत**

● **सहमति:** तैनाती के लिए मेजबान राज्य/प्रमुख पक्षों की स्वीकृति आवश्यक होती है (उदाहरण: (e.g., United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL)।

● **निष्पक्षता:** संयुक्त राष्ट्र बलों को किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं लेना चाहिए, वे अधिदेश एवं अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ही कार्य करें।

● **बल का सीमित उपयोग:** बल का उपयोग केवल आत्मरक्षा या अधिदेश की रक्षा के लिए ही अनुमत है

**मिशन की स्थापना की प्रक्रिया**

● **आकलन:** यदि संघर्ष बढ़ता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट एवं परामर्श आवश्यकता का आकलन करते हैं।

● **अधिदेश अनुमोदन:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कार्यो, सैनिक संख्या एवं अवधि को परिभाषित करता है।

● **नेतृत्व नियुक्ति:** संयुक्त राष्ट्र मिशन प्रमुख, बल कमांडर, पुलिस आयुक्त की नियुक्ति करता है।

● **बल सृजन:** सदस्य देशों द्वारा स्वेच्छा से सैनिक प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें टूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ (TCCs) और पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ (PCCs) कहा जाता है (उदाहरण: भारत, बांग्लादेश, नेपाल प्रमुख योगदानकर्ता)।

● **तैनाती रूपरेखा:** मेजबान राज्य स्टेटस ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट (SOFA) पर हस्ताक्षर करता है; संचालन नियमों (Rules of Engagement – ROE) द्वारा निर्देशित होते हैं।

**योगदान एवं वित्तपोषण**

● **सैनिक एवं पुलिस:** टूप/पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ द्वारा स्वेच्छा से प्रदान किए जाते हैं (संयुक्त राष्ट्र मानक दरों पर प्रतिपूर्ति करता है)।

● **वित्तपोषण:** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित आकलित अंशदानों के माध्यम से वित्तपोषित (प्रमुख योगदानकर्ता: USA, China, Japan)।

**ईरान युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक रूप से हार सकता है**

**संदर्भ**

- अमेरिका-ईरान के बीच चल रहा संघर्ष सैन्य सफलता और रणनीतिक विजय के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। यद्यपि अमेरिकी सेना के पास जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है, फिर भी व्यापक भू-रणनीतिक परिणाम अमेरिकी प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं और वैश्विक शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकते हैं।

**संयुक्त राज्य अमेरिका को रणनीतिक नुकसान**

- **अमेरिकी शक्ति की सीमाओं का प्रदर्शन:** यदि ईरान विश्व की अग्रणी महाशक्ति और उसके सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी के संयुक्त सैन्य दबाव से बच जाता है, तो यह संकेत देता है कि अमेरिकी शक्ति की व्यावहारिक सीमाएँ हैं।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र से रणनीतिक ध्यान भटकाना:** मध्य पूर्व में खर्च किए गए संसाधन और ध्यान चीन के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता को कम कर देते हैं।
- **चीन को रणनीतिक लाभ:** ईरान संघर्ष पर अमेरिका का ध्यान केंद्रित होने से चीन को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना रणनीतिक लाभ प्राप्त होता है।
- **स्वेज संकट की प्रतिध्वनि:** जिस प्रकार 1956 के स्वेज संकट ने यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्ति की सीमाओं को उजागर किया, उसी प्रकार ईरान युद्ध अमेरिकी वैश्विक प्रभाव के लिए एक समान महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

- **ईरानी शासन का अस्तित्व:** यदि निरंतर अमेरिकी-इजरायली दबाव के बावजूद तेहरान में शासन बरकरार रहता है, तो ईरान का यह अस्तित्व ही एक रणनीतिक जीत बन जाता है।
- **संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** ईरान ने इस टकराव को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ एक व्यापक भू-राजनीतिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे घरेलू और क्षेत्रीय स्तर पर उसके प्रतिरोध की कहानी को मजबूती मिली है।

#### युद्ध के बाद ईरान कैसे मजबूत हो सकता है

- **परमाणु नीति में बदलाव:** पहले ईरान के सर्वोच्च नेता ने परमाणु हथियारों के खिलाफ धार्मिक फतवा जारी किया था। हालांकि, आईआरजीसी इस प्रतिबंध को पलटने की कोशिश कर सकता है, जिससे समृद्ध यूरेनियम पर नियंत्रण बने रहने पर ईरान परमाणु हथियार विकास के और करीब पहुंच सकता है।
- **न्यूनतम मांगों का बढ़ता दायरा:** युद्धपूर्व वार्ता की तुलना में ईरान की युद्धविराम मांगों अधिक महत्वाकांक्षी हो गई हैं, जिनमें प्रतिबंध हटाना, क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाना और उसके रणनीतिक हितों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता शामिल है।
- **रणनीतिक समुद्री प्रभाव:** ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रभावी रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है—जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है—जो वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को बाधित करने और भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है।
- **सैन्य दबाव के बावजूद अस्तित्व:** खबरों के अनुसार, ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों को मजबूत पहाड़ी ठिकानों में तैनात कर दिया है, जिससे अमेरिकी-इजरायली हवाई श्रेष्ठता के बावजूद उसकी जवाबी कार्रवाई की क्षमता बरकरार है।
- **आईआरजीसी का सुदृढ़ीकरण:** इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) से घनिष्ठ रूप से जुड़े तत्वों ने मजबूत राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिससे ईरान की रणनीतिक स्थिति और भी कठोर हो सकती है।
- **ऊर्जा हथियार रणनीति:** ऊर्जा प्रवाह को बाधित करने और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को खतरा पहुंचाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके, ईरान भविष्य में अपने खिलाफ होने वाली सैन्य कार्रवाइयों को रोक सकता है।

### विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026

#### संदर्भ

केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक-संचालित संस्थानों पर इसके प्रभाव के संबंध में तीव्र विरोध और चिंताओं के बाद विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा स्थगित कर दी है।

#### प्रस्तावित प्रमुख प्रावधान

- **नामित प्राधिकरण का सृजन:** यह विधेयक केंद्र सरकार को पंजीकरण रद्द होने, आत्मसमर्पण करने या समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और परिसंपत्तियों को अपने हाथ में लेने, उनकी निगरानी करने और उनका प्रबंधन करने के लिए एक नामित प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- **समाप्त पंजीकरण का विस्तार:** यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, नवीनीकरण अस्वीकार कर दिया जाता है, या समाप्ति तिथि से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र को समाप्त माना जाता है।
- **अनंतिम बनाम स्थायी निहित होना (Vesting):**
  - **अनंतिम:** निलंबन या नवीकरण में देरी के दौरान संपत्तियां अस्थायी रूप से प्राधिकारी के पास निहित होती हैं; पंजीकरण बहाल होने पर उन्हें वापस कर दिया जाता है।
  - **स्थायी:** संपत्तियां स्थायी रूप से निहित हो जाती हैं यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण का नवीकरण करने में विफल रहता है या यदि इकाई निष्क्रिय (defunct) हो जाती है।
  - **संपत्ति का निपटान:** प्राधिकारी स्थायी रूप से निहित संपत्तियों को सरकारी विभागों में स्थानांतरित कर सकता है या बिक्री के माध्यम से उनका निपटान कर सकता है, जिससे प्राप्त आय भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।
- **धार्मिक उपासना स्थल:** उपासना स्थलों के लिए, प्राधिकारी किसी निर्धारित व्यक्ति को प्रबंधन सौंप सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थल का धार्मिक स्वरूप बना रहे।

- **विस्तारित निषेध:** विधेयक विदेशी सहायता स्वीकार करने से प्रतिबंधित व्यक्तियों की श्रेणी का विस्तार करता है ताकि समाचार उत्पादन या प्रसारण में लगे किसी भी व्यक्ति (न केवल संघ/कंपनियां) को शामिल किया जा सके।
- **कानूनी संरक्षण और दंड:**
  - **अपील:** पीड़ित व्यक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के पास अपील कर सकता है।
  - **कम किया गया दंड:** अधिनियम के उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास को पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।
  - **पूर्व अनुमति:** अधिनियम के तहत अपराधों के लिए किसी भी जांच को शुरू करने के लिए अब केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

## राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (ROSCTL) योजना

### संदर्भ

हाल ही में, वस्त्र मंत्रालय ने परिधान/वस्त्र और तैयार उत्पादों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट (RoSCTL) योजना को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।

### राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (RoSCTL) योजना के बारे में

- यह योजना 7 मार्च 2019 से लागू है।
- इसका उद्देश्य निर्मित वस्तुओं और वस्त्रों के निर्यात पर लगने वाले सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों/शुल्कों की प्रतिपूर्ति करना है।
- इसे पुरानी "राज्य शुल्क छूट (RoSL) योजना" के स्थान पर स्थापित किया गया है।
- RoSL और RoSCTL योजना में अंतर यह है कि RoSL योजना के तहत केंद्रीय करों और शुल्कों पर कोई लाभ नहीं था। लेकिन RoSCTL योजना में निर्यातक को राज्य और केंद्रीय दोनों करों और शुल्कों पर छूट मिलेगी।
- उद्देश्य: वस्त्रों/परिधानों और तैयार माल के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना के अतिरिक्त राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति छूट के माध्यम से करना।

### RoSCTL योजना की विशेषताएं

- इस योजना के अंतर्गत छूट शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में दी जाएगी।
- ये स्क्रिप सीमा शुल्क प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएंगी।
- इन शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा। ये स्क्रिप हस्तांतरणीय होंगी।
- ई-स्क्रिप में उपलब्ध शुल्क क्रेडिट की पूरी राशि एक बार में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी और आंशिक हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।
- **ई-स्क्रिप की वैधता:** ई-स्क्रिप की वैधता अवधि, जो इसके निर्माण की तारीख से एक वर्ष है, ई-स्क्रिप के हस्तांतरण के कारण नहीं बदलेगी।
- **पात्रता:** भारत में निर्मित वस्त्र/परिधान और तैयार उत्पादों के सभी निर्यातक इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के पात्र हैं, सिवाय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची में शामिल संस्थाओं/आईईसी के।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसका कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।

## पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच भारत ने 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क माफ किया

### संदर्भ

आपूर्ति में व्यवधान, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और कपड़ा, फार्मा और ऑटोमोबाइल उद्योगों में व्याप्त तनाव का सामना करते हुए, नई दिल्ली ने तीन महीने के लिए व्यापक सीमा शुल्क छूट की घोषणा की है। यह भारत के आयात-निर्भर रासायनिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक लक्षित लेकिन अस्थायी राहत है।

~40  
पेट्रोकेमिकल उत्पादों को सीमा शुल्क से छूट  
₹1,800 करोड़  
अनुमानित सरकारी राजस्व हानि  
जून 2026  
छूट अवधि की अंतिम तिथि

### पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं और वे क्यों मायने रखते हैं?

पेट्रोकेमिकल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त रासायनिक यौगिक हैं। ये केवल विशिष्ट औद्योगिक सामग्री नहीं हैं, बल्कि पीने के पानी की पीईटी बोतलों से लेकर कपड़ों में प्रयुक्त सिंथेटिक फाइबर पैकेजिंग सामग्री, पेंट, चिपकने वाले पदार्थ और फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती पदार्थों तक, रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुके हैं।

भारत में, पेट्रोकेमिकल उद्योग ऊर्जा नीति, औद्योगिक रणनीति और व्यापार के केंद्र में स्थित है। यह कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल्स, कृषि (उर्वरक), पैकेजिंग और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करता है।

पेट्रोकेमिकल की उपलब्धता में व्यवधान एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता — यह तेजी से अन्य उद्योगों में भी फैलता है, जिससे लागत बढ़ती है और उत्पादन सीमित होता है।

### दायरे में प्रमुख उत्पाद

भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र द्वारा कवर की जाने वाली प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में पॉलिमर (पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन), सिंथेटिक फाइबर, रासायनिक मध्यवर्ती (स्टाइरीन, टोल्यूनि), और मेथनॉल और अमोनिया जैसे औद्योगिक रसायन।

### घोषणा: सरकार ने क्या किया है

केंद्र सरकार ने लगभग 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की है। यह उपाय स्पष्ट रूप से अस्थायी है और 30 जून, 2026 तक लागू रहेगा। यह विशेष रूप से लक्षित है और केवल उन विशिष्ट सामग्रियों पर लागू होता है जिनकी आपूर्ति में भारी कमी आई है, न कि किसी व्यापक क्षेत्रीय राहत के रूप में।

### छूट प्राप्त उत्पादों की सूची में शामिल हैं:

मेथनॉल, एसिटिक एसिड, टोल्यूनि, स्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), पॉलीकार्बोनेट, पीटीए (शुद्ध टैरेफ्थैलिक एसिड), एमईजी (मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल)।

इसके साथ ही, सरकार ने उद्योगों को वाणिज्यिक एलपीजी का आवंटन बढ़ा दिया है, जिससे कच्चे माल की कमी को दूर किया जा सके, जो वर्तमान आपूर्ति संकट का एक संरचनात्मक कारण रहा है।

### नीति के पीछे का संकट: भू-राजनीति और आपूर्ति श्रृंखला की अस्थिरता का टकराव

भारत अपनी पेट्रोकेमिकल आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात करता है, और भौगोलिक निकटता और दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिम एशिया - विशेष रूप से ईरान और खाड़ी देश - प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ईरान से जुड़े संघर्षों सहित क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक तनावों ने भारत को एक साथ दो मोर्चों पर प्रभावित किया है।

पहला, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की लागत को सीधे तौर पर बढ़ा दिया है। दूसरा, लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के शिपिंग मार्गों में व्यवधान ने डिलीवरी में देरी और लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाएं पैदा कर दी हैं, जिससे आयात की लागत और भी बढ़ गई है।

### क्षेत्रीय प्रभाव: किसे लाभ होगा?

शुल्क छूट से कई औद्योगिक क्षेत्रों में ठोस निकट अवधि राहत मिलने की उम्मीद है:

- **कपड़ा:** पीटीए और एमईजी के लिए कम इनपुट लागत वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले सिंथेटिक फाइबर उत्पादकों और परिधान निर्यातकों पर दबाव कम करेगी।

- **ऑटोमोबाइल:** पेंट, कोटिंग्स और रासायनिक इनपुट की बेहतर उपलब्धता से वाहन निर्माण में उत्पादन में देरी और इनपुट लागत मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी।
- **फार्मास्यूटिकल्स:** एपीआई निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक मध्यवर्ती के लिए आपूर्ति का स्थिरीकरण दवा उद्योग के लिए आयात निर्भरता जोखिम को कम करेगा।
- **पैकेजिंग और प्लास्टिक:** पॉलिमर लागत में कमी से एफएमसीजी पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता सामान क्षेत्रों को डाउनस्ट्रीम मूल्य में कमी के साथ लाभ होगा।

सरकार ने संकेत दिया है कि राहत से अंतिम-उपभोक्ता कीमतों को कम करने की उम्मीद है, न कि केवल औद्योगिक उत्पादकों को लाभ होगा। उच्च मुद्रास्फीति के माहौल में, यह उपभोक्ता आयाम निर्णय में राजनीतिक वजन जोड़ता है।

#### आगे की राह: एक मजबूत पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का निर्माण

- शुल्क में छूट अल्पकालिक स्थिरता प्रदान करने में उपयोगी है, लेकिन भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को संरचनात्मक कमजोरियों को कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचे की आवश्यकता है। विश्लेषकों और उद्योग निकायों ने कई प्राथमिकताओं पर व्यापक सहमति व्यक्त की है।
- घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार करना - कमोडिटी रसायनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को घरेलू क्रेकर्स, एरोमैटिक्स कॉम्प्लेक्स और डाउनस्ट्रीम पॉलीमर इकाइयों का विस्तार करने की आवश्यकता है।
- आयात स्रोतों में विविधता लाना - पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भरता भू-राजनीतिक एकाग्रता का जोखिम पैदा करती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और रूस के साथ सोर्सिंग समझौते आपूर्ति श्रृंखला में अतिरिक्तता प्रदान कर सकते हैं।

### NCERT को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा: शिक्षक शिक्षा में एक नया चरण

#### संदर्भ

केंद्र ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को "एक विशिष्ट श्रेणी के तहत मानद विश्वविद्यालय" (Institution deemed to be University under a distinct category) का दर्जा प्रदान किया है।

#### प्रावधान

- **डिग्री प्रदान करने की शक्ति:** इस पदनाम के साथ, NCERT और इसके छह क्षेत्रीय संस्थान स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार कर सकते हैं और डिग्री प्रदान कर सकते हैं।
- **विनियमों का अनुपालन:** सभी पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप रहना होगा।
- **शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार:** NCERT द्वारा अनुसंधान-उन्मुख, डॉक्टरेट और अभिनव कार्यक्रम शुरू करने की उम्मीद है, और वह UGC के मानदंडों के अनुसार ऑफ-कैंपस और विदेशी केंद्र भी स्थापित कर सकता है।
- **गैर-लाभकारी स्वरूप:** संस्थान को कड़ाई से गैर-व्यावसायिक आधार पर संचालित होना चाहिए, जिसमें लाभ कमाने वाली गतिविधियों की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
- **प्रत्यायन (Accreditation) आवश्यकताएँ:** इसके लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) से संस्थागत प्रत्यायन और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से कार्यक्रम-स्तरीय मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य है।
- **रैंकिंग में भागीदारी:** NCERT को प्रतिवर्ष नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग में भाग लेना होगा।
- **डिजिटल क्रेडिट प्रणाली को अपनाना:** संस्थान 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' (ABC) को लागू करने के लिए बाध्य है, जिसमें छात्र आईडी (IDs) तैयार करना और ABC प्रणाली से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शैक्षणिक क्रेडिट अपलोड करना शामिल है।

### CBSE ने AI पर ध्यान केंद्रित करने और भाषा सुधारों के साथ संशोधित पाठ्यक्रम पेश किया

#### संदर्भ

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक अद्यतन पाठ्यक्रम का अनावरण किया है जिसे आने वाले वर्षों में चरणों में लागू किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF-SE) 2023 के अनुरूप है।

## मुख्य बिंदु

- **अनिवार्य तीसरी भाषा:** छात्रों के लिए कक्षा 6 से तीसरी भाषा का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
- **कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:** शैक्षणिक सत्र 2027-28 से कक्षा 9 से AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एक अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
  - इन विषयों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा 2029 के लिए निर्धारित है।
- **STEM में उन्नत स्तर का मूल्यांकन:** कक्षा 10 में गणित और विज्ञान में वैकल्पिक उच्च-स्तरीय मूल्यांकन की पेशकश की जाएगी, जिसका पहला बैच 2028 में उपस्थित होगा।
- **कला और शारीरिक शिक्षा:** ये विषय अनिवार्य हो जाएंगे, जिन्हें नवनिर्मित पाठ्यपुस्तकों का समर्थन प्राप्त होगा, जबकि कुछ मौजूदा वैकल्पिक विषयों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है।
- **त्रि-भाषा ढांचा:** भाषाओं को तीन दक्षता स्तरों—R1, R2 और R3 पर पढ़ाया जाएगा।
- **R3-स्तर की पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत:** सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से उन्नत स्तर (R3) की पाठ्यपुस्तकें शुरू की जाएंगी।
- **विस्तृत भाषा विकल्प:** पाठ्यक्रम में मैथिली, संथाली, डोगरी और कोंकणी जैसी अतिरिक्त भाषाओं को शामिल किया गया है।
- **कार्यान्वयन रणनीति:** कक्षा 9 के लिए AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की नई पाठ्यपुस्तकें विकसित की जा रही हैं और शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से उपलब्ध होंगी।
  - इसका प्रसार क्रमिक होगा, जिसमें पाठ्यक्रमों और अद्यतन शिक्षण सामग्री की चरणबद्ध शुरुआत की जाएगी।
- **मूल्यांकन और परीक्षा सुधार:** आंतरिक मूल्यांकन में कला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे नए अनिवार्य विषयों को शामिल किया जाएगा।
  - उन्नत गणित और विज्ञान के प्रश्नपत्रों में एक अतिरिक्त एक घंटे का परीक्षण शामिल होगा, जिसमें 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मान्यता दी जाएगी।



## मुख्य परीक्षा

### मतदाता सूची: फॉर्म 6 और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

#### संदर्भ

पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले, फॉर्म 6 पंजीकरण में अचानक हुई वृद्धि ने मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से ठीक पहले अन्य राज्यों के मतदाताओं को शामिल किए जाने पर चिंताएं बढ़ा दीं, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता विलोपन की समीक्षा की।

#### फॉर्म 6 के बारे में

- **परिभाषा:** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार, फॉर्म 6 नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला आधिकारिक आवेदन है।
- **संबंधित प्राधिकारी:** यह आवेदन मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को प्रस्तुत किया जाता है, जो मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- **पात्रता मानदंड:** आवेदक को निम्नलिखित होना चाहिए:
  - भारतीय नागरिक
  - 18 वर्ष या उससे अधिक आयु (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार)
  - निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी
- **आवश्यक दस्तावेज:** आयु और निवास का प्रमाण (स्व-सत्यापित)। नागरिकता की स्व-घोषणा शामिल है (शुरुआत में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है)।
- **आवेदन का तरीका:** ईआरओ को ऑनलाइन (ईसीआईनेट पोर्टल) या ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।

#### फॉर्म 6 का प्रसंस्करण

- **चरण 1:** आवेदक द्वारा जमा करना
- **चरण 2:** बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) द्वारा फील्ड सत्यापन
- **चरण 3:** संतुष्टि के बाद ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय
- **समावेशन के प्रकार**
  - विशेष सारांश संशोधन (SSR): चुनाव-पूर्व / वार्षिक संशोधन
  - निरंतर अद्यतन: चुनाव अवधि को छोड़कर पूरे वर्ष इसकी अनुमति है
- **सुरक्षा उपाय:** अंतिम समावेशन से पहले आपत्तियों के लिए न्यूनतम 7 दिन की नोटिस अवधि दी जाती है।

#### फॉर्म 6 का महत्व

- **लोकतांत्रिक भागीदारी को सक्षम बनाता है:** नागरिकों के लिए मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- **समावेशिता सुनिश्चित करता है:** नए मतदाताओं, प्रवासियों और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को सूची में जोड़ने में मदद करता है।
- **चुनावी सटीकता बनाए रखता है:** यह सुनिश्चित करता है कि सत्यापन के बाद केवल पात्र निवासियों को ही शामिल किया जाए।
- **कानूनी जवाबदेही:** झूठी घोषणा से जुर्माना या कारावास हो सकता है, जिससे प्रक्रिया की गंभीरता सुनिश्चित हो सकती है।

#### मतदाता सूची से बाहर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- **निष्पक्ष निर्णय लेने वाला प्राधिकरण:** केवल चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के पास ही सत्यापन के बाद नामों को जोड़ने या हटाने का अधिकार है ताकि गलत तरीके से नाम बाहर करने से सावधानीपूर्वक बचा जा सके।

- मतदान के अधिकार को स्थायी रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है: मतदाता सूची से नामों को हटाना अस्थायी है, और पात्र नागरिकों को फिर से शामिल किया जा सकता है।
- अपीलीय तंत्र को मजबूत करना: वरिष्ठ न्यायाधीशों के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायाधिकरण बहिष्कृत मतदाताओं की अपील की सुनवाई करेंगे।
- निर्णय लेने में पारदर्शिता: जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नाम हटाने के स्पष्ट कारण प्रदान करने होंगे।
- बड़े पैमाने पर निर्णय को मान्यता दी गई: न्यायालय ने बड़ी संख्या में दावों और आपत्तियों को संसाधित करने को स्वीकार किया।
- पूरक मतदाता सूचियों की अनुमति: समय-समय पर अपडेट चुनाव से पहले पात्र मतदाताओं को निरंतर शामिल करना सुनिश्चित करते हैं।

#### प्रभाव

- लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान को एक मुख्य अधिकार के रूप में सुदृढ़ करता है।
- सटीकता और समावेशन के बीच संतुलन: यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची समावेशी रहते हुए साफ (डुप्लिकेट से मुक्त) हो।
- नामांकन प्रक्रिया में स्पष्टता (फॉर्म 6): फॉर्म 6 बीएलओ द्वारा सत्यापन और ईआरओ द्वारा अनुमोदन के साथ नए मतदाता पंजीकरण को सक्षम बनाता है। यह आगे मतदाताओं को जोड़ने में जांच और जवाबदेही का परिचय देता है।
- संस्थागत जवाबदेही: यह सुनिश्चित करके मनमाने ढंग से शक्तियों को सीमित करता है कि निर्णय नामित अधिकारियों (ईआरओ) के पास रहें।

#### चुनौतियां

- बहिष्करण की उच्च दर: बड़े पैमाने पर विलोपन गलत तरीके से मताधिकार से वंचित होने के बारे में चिंता पैदा करता है।
- चुनाव से पहले समय की कमी: नामांकन से पहले रोल को अंतिम रूप देने का दबाव पूरी तरह से सत्यापन को प्रभावित करता है।
- फॉर्म 6 के दुरुपयोग का जोखिम: थोक नामांकन और जनसांख्यिकीय हेरफेर के आरोप राजनीतिक विवाद पैदा करते हैं।
- प्रशासनिक बोझ: लाखों दावों को संभालने से रोजाना संस्थागत क्षमता पर दबाव पड़ता है।
- अपील की समयसीमा में स्पष्टता का अभाव: चल रहा निर्णय समावेशन चाहने वाले मतदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करता है।

#### आगे की राह

- समावेशन फोकस के साथ सत्यापन को मजबूत करना: सुनिश्चित करना कि पुनरीक्षण अभ्यास वास्तविक मतदाताओं को बाहर नहीं करते हैं।
- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना: सभी बहिष्करणों के लिए स्पष्ट कारण और सुलभ अपील तंत्र प्रदान करना।
- प्रशासनिक क्षमता में सुधार: बड़े पैमाने पर संशोधनों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात करना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- फॉर्म 6 जमा करने को विनियमित करना: दुरुपयोग या राजनीतिक हेरफेर को रोकने के लिए थोक आवेदनों की निगरानी करना।
- निष्पक्षता के साथ गति को संतुलित करना: मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले सत्यापन और अपील के लिए पर्याप्त समय दें।

### भ्रष्टाचार विरोधी निकायों का राजनीतिकरण

#### संदर्भ

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा हाई-प्रोफाइल मामला हाल ही में उस समय धराशायी हो गया जब एक निचली अदालत ने रिश्वतखोरी या आपराधिक साजिश के प्रथम दृष्टया सबूत न होने के कारण आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।

### भ्रष्टाचार विरोधी निकायों का राजनीतिकरण

- **भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के बारे में:** ये विशेष संस्थान हैं जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को रोकने, पता लगाने और जांच करने का काम करते हैं। भारत में, प्रमुख एजेंसियों में शामिल हैं:
  - **केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI):** भ्रष्टाचार और प्रमुख आर्थिक अपराधों को संभालने वाला मुख्य जांच निकाय।
  - **प्रवर्तन निदेशालय (ED):** मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन जैसे वित्तीय अपराधों से निपटता है।
  - **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC):** केंद्र सरकार में सतर्कता तंत्र की निगरानी करने वाला एक शीर्ष सलाहकार निकाय।
  - **लोकपाल/लोकायुक्त:** केंद्र और राज्य स्तर पर वैधानिक संस्थान जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं।

### राजनीतिकरण में योगदान देने वाले कारक

- **एफआईआर पंजीकरण पर बाहरी प्रभाव:** मजबूत सबूतों के बजाय राजनीतिक दबाव के कारण जांच शुरू की जा सकती है।
  - **उदाहरण:** दिल्ली आबकारी मामले ने महीनों तक गहन मीडिया कवरेज के बावजूद विफल होने पर चिंताएं पैदा कर दीं।
- **एजेंसियों पर कार्यकारी नियंत्रण:** राजनीतिक कार्यपालिका पर निर्भरता संस्थागत स्वायत्तता और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है।
  - **उदाहरण:** दिल्ली में नेताओं की गिरफ्तारी ने आरोप स्थापित होने से पहले ही राजनीतिक चर्चा को प्रभावित किया।
- **राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आपराधिक कानून का उपयोग:** कानूनी कार्रवाई को विशुद्ध रूप से न्यायिक प्रक्रिया के बजाय एक राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।
  - **उदाहरण:** सार्वजनिक अनुबंधों से जुड़ी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां अक्सर चुनावों के दौरान मीडिया पर हावी होती हैं।
- **कमजोर साक्ष्य आधार:** मामले कभी-कभी मजबूत फॉरेंसिक या वित्तीय साक्ष्य के बजाय संदेह पर बनाए जाते हैं।
  - **उदाहरण:** आबकारी नीति का मामला साजिश का प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असमर्थता के कारण विफल हो गया।

### निहितार्थ

- **संस्थागत विश्वसनीयता का नुकसान:** प्रारंभिक चरण में मामलों की विफलता भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों में जनता के विश्वास को कमजोर करती है।
- **जनता का बढ़ता अविश्वास:** बिना किसी सजा के लगातार आरोप न्याय प्रणाली के बारे में निंदक को बढ़ावा देते हैं।
- **प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता का नुकसान:** व्यक्तियों को साबित अपराध के बिना लंबे समय तक हिरासत और प्रतिष्ठा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
  - **उदाहरण:** दिल्ली के पूर्व मंत्रियों ने महीनों तक हिरासत में बिताए, इससे पहले कि अदालतों को अपर्याप्त सबूत मिले।
- **संसाधनों का अकुशल उपयोग:** राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेकिन कमजोर मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से विकास की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

### राजनीतिकरण से निपटने में चुनौतियां

- **भ्रष्टाचार की जटिल प्रकृति:** अवैध गतिविधियों को अक्सर शेल कंपनियों और नियामक हेरफेर जैसे अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से छिपाया जाता है।
- **नीतिगत मामलों में न्यायिक सावधानी:** अदालतें नीतिगत फैसलों को अपराध बनाने से बचती हैं जब तक कि दुर्भावनापूर्ण इरादे के स्पष्ट सबूत मौजूद न हों।
  - **उदाहरण:** सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अकेले नीतिगत परिवर्तन बेईमानी के इरादे के सबूत के बिना अपराध नहीं बनते हैं।
- **सीमित जांच क्षमता:** एजेंसियां अक्सर उन्नत वित्तीय और डेटा विश्लेषण तकनीकों के बजाय गवाही पर भरोसा करती हैं।
- **समन्वय का अभाव:** सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के बीच विखंडन एक एकीकृत और विशिष्ट दृष्टिकोण को बाधित करता है।

### आगे की राह

- **फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाना:** वित्तीय लेन-देन और स्वामित्व संरचनाओं पर नज़र रखने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे उपकरणों को अपनाना।
- **संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करना:** एफआईआर और अभियोजन संबंधी निर्णय साक्ष्य-आधारित और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए।
- **न्यायिक मानकों का पालन:** मामलों को तभी आगे बढ़ाया जाना चाहिए जब वे ठोस और कानूनी रूप से मान्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित हों।
- **राजनीतिक संयम को बढ़ावा देना:** राजनीतिक अभिनेताओं को पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार:** सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के मॉडल के समान एक सुव्यवस्थित और विशेषज्ञ-संचालित जांच ढांचा विकसित करना।

### विनियमन बनाम अधिकार: FCRA (FCRA) संशोधन पर बहस

#### संदर्भ

केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा स्थगित कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की रक्षा के लिए 2010 के अधिनियम के तहत विदेशी वित्तपोषण के विनियमन को कड़ा करना है, लेकिन केरल विधानसभा चुनावों से पहले अल्पसंख्यक संस्थानों पर इसके प्रभाव की चिंताओं ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है।

#### FCRA के बारे में

- **परिभाषा और उद्देश्य:** विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) भारत में व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संघों द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग को नियंत्रित करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा अंशदान राष्ट्रीय हितों से समझौता न करे।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1976):** यह कानून पहली बार 1976 में वित्तीय सहायता के माध्यम से घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की चिंताओं के बीच लागू किया गया था।
- **मुख्य उद्देश्य:** इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि संगठन एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करें।
- **हालिया संशोधन:** समय के साथ, नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए 2016, 2018 और 2020 में अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। विशेष रूप से 2020 के संशोधन ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान की सरकारी निगरानी और जांच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है।

#### FCRA संशोधन विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान

- **'नामित प्राधिकारी' का सृजन:** विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों के प्रबंधन या निपटान के लिए एक विशेष प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
  - यह तब लागू होता है जब किसी एनजीओ का पंजीकरण निलंबित, रद्द या नवीनीकृत नहीं होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संपत्तियों का दुरुपयोग न हो या वे बिना प्रबंधन के न रहें।
- **'मुख्य पदाधिकारी' (Key functionary) की व्यापक परिभाषा:** इस शब्द में अब निदेशक, ट्रस्टी, भागीदार, समिति के सदस्य और संगठन का प्रबंधन करने वाले अन्य व्यक्ति शामिल होंगे।
  - यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में शामिल सभी व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान की जाए और वे जवाबदेह हों।
- **मुख्य पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व:** एनजीओ के प्रमुख व्यक्तियों को कानून के तहत उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
  - हालांकि, यदि वे जानकारी के अभाव या उचित सावधानी बरतने की बात सिद्ध कर देते हैं, तो वे दायित्व से बच सकते हैं।

- **जांच के लिए पूर्व अनुमति:** राज्य एजेंसियों या पुलिस द्वारा FCRA से संबंधित मामलों में किसी भी जांच के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
  - इसका उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित करना और बहु-स्तरीय या अतिव्यापी जांच को रोकना है।
- **संपत्ति प्रबंधन के लिए ढांचा:** इससे पहले कानून केवल विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करता था, न कि उनसे निर्मित संपत्तियों को।
  - संशोधन ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम पेश करता है, विशेष रूप से पंजीकरण के निलंबन या रद्दीकरण के दौरान।
- **धन के उपयोग की समयसीमा:** पूर्व अनुमति के तहत धन प्राप्त करने वाले एनजीओ को एक निश्चित समय अवधि के भीतर उनका उपयोग करना होगा।
  - यह धन को अनिश्चित काल तक रोके रखने से रोकता है और इच्छित उद्देश्यों के लिए समय पर उपयोग सुनिश्चित करता है।
- **पंजीकरण की स्वतः समाप्ति:** यदि पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया जाता है, तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, जिससे संगठनों की स्थिति के बारे में अस्पष्टता दूर होगी।
  - यह स्पष्टता लाता है और निष्क्रिय संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग को रोकता है।
- **दंड का युक्तिकरण:** उल्लंघन के लिए अधिकतम जेल की सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने का प्रस्ताव है।
  - अब ध्यान कठोर दंड के बजाय प्रशासनिक अनुपालन पर केंद्रित है।

#### चिंताएं और आलोचना

- **गैर सरकारी संगठनों पर प्रभाव:** नागरिक समाज समूहों और धार्मिक संगठनों ने चिंता जताई है कि संशोधन गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के लिए विदेशी धन पर निर्भर हैं।
- **सरकार का औचित्य:** सरकार ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य कानूनी और प्रशासनिक अंतराल को दूर करना और विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना है, विशेष रूप से कथित जबरन धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों में।
- **परिसंपत्ति अधिग्रहण का जोखिम:** पंजीकरण नवीनीकरण में देरी या इनकार के कारण संपत्ति के नुकसान पर चिंता।
- **अत्यधिक नियंत्रण का डर:** आलोचना कि कानून केंद्र सरकार के नियंत्रण को बढ़ा सकता है और एनजीओ की स्वायत्तता को कम कर सकता है।
- **केरल की राजनीतिक संवेदनशीलता:** केरल में विधानसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे को प्रमुखता मिली है, जहां एक बड़ा ईसाई अल्पसंख्यक (3.34 करोड़ आबादी में से 61 लाख से अधिक) इसे चुनावी रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

#### आगे की राह

- **स्पष्ट और पारदर्शी संपत्ति प्रबंधन ढांचा:** संपत्तियों के अधिग्रहण, वापसी या हस्तांतरण के लिए अच्छी तरह से परिभाषित, समयबद्ध प्रक्रियाएं स्थापित करना।
  - **सर्वोत्तम अभ्यास:** यूके चैरिटी कमीशन मॉडल न्यायिक सुरक्षा के साथ धर्मार्थ संपत्तियों की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करता है।
- **स्वतंत्र निगरानी तंत्र:** पूर्ण कार्यकारी नियंत्रण के बजाय एक अर्ध-न्यायिक या स्वतंत्र नियामक निकाय बनाना।
  - **उदाहरण:** नीति आयोग ने नियामक प्रक्रियाओं में नागरिक समाज को शामिल करने वाले सहभागी शासन मॉडल की सिफारिश की है।
- **समयबद्ध और पूर्वानुमानित नवीकरण प्रक्रिया:** पंजीकरण नवीकरण निर्णयों के लिए स्वचालित अनुस्मारक (reminders), डिजिटल ट्रेकिंग और सख्त समयसीमा सुनिश्चित करना।
  - **सर्वोत्तम अभ्यास:** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का MCA-21 पोर्टल समयबद्ध डिजिटल अनुपालन प्रणालियों के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।

- **जोखिम के आधार पर विभेदित विनियमन:** सभी एनजीओ के लिए एक समान प्रतिबंधों के बजाय जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना।
  - **वैश्विक अभ्यास:** फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) व्यापक नियंत्रण के बजाय उच्च जोखिम वाली संस्थाओं की लक्षित निगरानी की सिफारिश करता है।
- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता:** विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग के लिए रीयल-टाइम प्रकटीकरण पोर्टल्स का उपयोग करना।
  - **उदाहरण:** भारत की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का उपयोग धन की शुरू से अंत तक ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है।
- **एनजीओ का क्षमता निर्माण:** विशेष रूप से छोटे संगठनों के लिए प्रशिक्षण और अनुपालन सहायता प्रदान करना।
  - **उदाहरण:** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) इस बात पर प्रकाश डालता है कि क्षमता निर्माण विकासशील देशों में नियामक पालन में सुधार करता है।

